माननीय न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और निर्मल सिंह के समक्ष, जे. जे.

भारत संघ -याचिककर्ता

पी. लाल , आई. पी. एस. *और अन्य-उत्तरदाता*

C.W.P. No. 6196 of 1998

4 जुलाई, 2001

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-अखिल *भारतीय सेवा (सेवा की शर्तें-अवशिष्ट मामले) नियम, 1960-Rl. 2* और *3-अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन* और *अपील) नियम, 1969-Rl. 8-अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-राशि-सेवानिवृत्ति उपदान)* नियम, *1958-Rl.* 16 *(2A)-राज्य सरकार, कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहने और* अनुमति *के बिना* विदेश *जाने के आरोप में एक आई. पी. एस. अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर रही है-आरोप पत्र को वापस लेने के अनुरोध के साथ सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करने वाले अधिकारी-राज्य सरकार द्वारा अनुरोध की स्वीकृति- भारत सरकार ने 3 महीने की पूर्व सूचना के बिना आवेदन को अस्वीकार कर दिया और अधिकारी को एक नया आवेदन जमा करने के* लिए *कहा-राज्य सरकार फिर से भारत सरकार से 3 महीने के नोटिस की आवश्यकता के बिना काम चलाने का* अनुरोध *करती है-भारत सरकार अनुरोध को स्वीकार* करती *है- अधिकारी अपने अनुरोध को वापस लेने के लिए आवेदन* दायर *करता है -राज्य सरकार की सिफारिश पर भारत सरकार अनुरोध को स्वीकार करती है -उसे* चुनौती *देते हुए- ने यह कहते हुए आदेश को रद्द कर दिया कि एक विदेशी कंपनी के तहत अधिकारी द्वारा रोजगार स्वीकार करने पर अधिकारी और भारत सरकार के बीच मालिक और नौकर का रिश्ता टूट गया-न्यायाधिकरण भारत सरकार के आदेशों की वैधता से संबंधित मुख्य मुद्दों से निपटने में विफल रहा है- भारत सरकार के पास 3 महीने के नोटिस की आवश्यकता को समाप्त करके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करने वाले आवेदन को स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है- राज्य सरकार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार करने का भारत सरकार का निर्णय गैर-अनुमानित था- अधिकारी खुद को सेवा में जारी रखने का हकदार है - आवेदन वापस लेने के अनुरोध पर विचार करने में भारत सरकार द्वारा कोई अवैधता नहीं है - केवल अधिकारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त किया जा रहा है- अधिकारी को क्लीन चिट देने की सरकार की कार्रवाई पूरी तरह अनपेक्षित और अनुचित है -स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने पर राज्य सरकार अधिकारी के आचरण पर व्यापक विचार करने के लिए बाध्य है-रिट को अनुमति दी जाती है, न्यायाधिकरण के आदेश को खारिज किया जाता है राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है की वे अधिकारी के खिलाफ आरोपों पर उचित निर्णय लें।*

अभिनिर्धारित किया जाता है कि विवादित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि न्यायाधिकरण ने श्री पी. लाल द्वारा दायर आवेदन को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि एक विदेशी कंपनी के तहत रोजगार की स्वीकृति स्पष्ट रूप से श्री आर. के. शर्मा के सरकार के साथ अपने संबंधों को अलग करने के इरादे का संकेत थी। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि श्री आर. के. शर्मा ने पहले यह बताते हुए जांच कार्यवाही को समाप्त करने की मांग करते हुए अत्यधिक अपमानजनक आचरण का प्रदर्शन किया था कि वह सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग कर रहे थे, फिर एक विदेशी कंपनी में रोजगार ले रहे थे और अंत में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस ले रहे थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण ने 2 मार्च, 1995 और 14 अगस्त, 1997 के पत्रों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पंजाब सरकार को दिए गए निर्णयों की वैधता से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार नहीं किया। इसलिए,

यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि 3 फरवरी, 1998 का आदेश, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कानून की त्रुटि से दूषित है जिसके कारण इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना जरूरी है।

(पैरा 31)

इसके अलावा यह भी अभिनिर्णीत किया जाता है कि इस निष्कर्ष से कोई बचाव नहीं है कि भारत सरकार ने पंजाब सरकार द्वारा 5 मई, 1993 का आवेदन पत्र स्वीकार करने के लिए किए गए अनुरोध पर विचार करके तीन महीने के नोटिस की आवश्यकता को समाप्त करके गंभीर अवैधता की थी। इसके तार्किक परिणाम के रूप में, यह माना जाना चाहिए कि भारत सरकार का पंजाब सरकार को दिनांक 2 मार्च, *1995* के पत्र के माध्यम से दिया गया निर्णय गैर-कानूनी *था और* इसलिए, श्री आर. के. शर्मा खुद को सेवा में बने रहने के रूप में मानने के हकदार थे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनके अनुरोध को वापस लेने के लिए 18 अप्रैल, 1995 का आवेदन पत्र जमा करने की भी आवश्यकता नहीं थी। किसी भी मामले में, भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने की अनुमति देने के लिए लिए गए निर्णय को अवैध या अधिकार क्षेत्र के अभाव के कारण अवैध या दूषित नहीं कहा जा सकता है।

(पैरा 32)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य सरकार जनवरी, 1993 में शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को फिर से शुरू करने के लिए बाध्य है, क्योंकि इन्हें केवल श्री आर. के. शर्मा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से समाप्त किया गया था, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संभव नहीं हो सकता था। इसलिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध वापस ले लिया है, सरकार का सक्षम प्राधिकारी इस मामले में एक व्यापक निर्णय लेने के लिए बाध्य है और श्री आर. के. शर्मा को गृह विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव द्वारा दर्ज किए गए पूरी तरह से अनुचित नोट या जांच समिति के समक्ष रखे गए एजेंडा आइटम का लाभ नहीं दिया जा सकता है। जिस तरह से पंजाब सरकार के गृह विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें क्लीन चिट देने का प्रयास किया गया है, उसे पूरी तरह से अनुचित, अनपेक्षित और सेवा की नैतिकता के लिए हानिकारक नहीं कहा जा सकता है।

(पैरा 38 और 41)

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985- Ss. 3 (q), 14,15 और 19 (1)-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-भारत सरकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन को वापस लेने के लिए एक आई. पी. एस. अधिकारी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए- न्यायाधिकरण सरकार के निर्णय की वैधता पर सवाल उठाने वाले एक आवेदन पर विचार करते हुए -सरकार का निर्णय, आवेदक *को सीधे* प्रभावित नहीं करता है-क्या आवेदक को न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने का अधिकार है-न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां-लक्ष्य और दायरे के बारे मे कहा गया है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1985 के अधिनियम की धारा 3 (q) और 19 के साथ पठित धारा 14 और 15 के प्रावधानों को सीमित अर्थ देने के लिए कोई वैध आधार प्रतीत नहीं होता है ताकि उन आवेदनों को स्वीकार करने के लिए न्यायाधिकरणों की अधिकारिता, शक्तियों और अधिकार को सीमित किया जा सके जो सीधे आवेदक के सेवा मामलों/सेवा शर्तों को प्रभावित करते हैं। यदि केवल उन कार्यों, निर्णयों या आदेशों के खिलाफ आवेदनों पर विचार करने के लिए न्यायाधिकरण के अधिकार और अधिकार क्षेत्र के बारे में एक संकीर्ण दृष्टिकोण लिया जाता है जो सीधे आवेदक को प्रभावित करते हैं, तो सेवा विवादों के निर्णय के लिए विशेष तंत्र बनाने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा क्योंकि उस स्थिति में, एक से अधिक न्यायिक मंचों के पास विभिन्न प्रकार

के सेवा विवादों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। यह 1985 के अधिनियम की योजना को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इसलिए, इस सर्वविदित नियम को ध्यान में रखते हुए कि यदि किसी क़ानून की दो व्याख्याएँ संभव हैं, तो न्यायालय उस उद्देश्य को अपनाएगा जो वधि के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है और उसे उद्देश्यपूर्ण बनाना और उसे त्याग देगा जो उसके उद्देश्य को विफल कर सकता है। हम अभिनिर्धारित करते हैं कि 1985 के अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरणों को भर्ती, भर्ती से संबंधित मामलों, सेवा मामलों और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के संबंध में शिकायतों या विवाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। इस प्रकार, श्री पी. लाल द्वारा दायर आवेदन 1985 के अधिनियम की धारा 3 (q) के साथ पठित धारा 19 के दायरे में आता है और न्यायाधिकरणों ने इस पर विचार करके कोई अवैधता नहीं की।

(पैरा 22 &28)

(1) C.W.P. No. 6196 of 1998

राकेश टिकू, केंद्र सरकार के वरिष्ठ स्थायी वकील के साथ एम. एस. गुगलानी, अतिरिक्त केंद्र सरकार के स्थायी वकील, याचिकाकर्ता के लिए वकील।

राजीव आत्मा राम, प्रतिवादी नं. 1 के लिए अधिवक्ता

रुपिंदर खोसला, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए पंजाब के उप महाधिवक्ता

डॉ. बलराम के. गुप्ता, प्रतिवादी न. 3 के लिए अधिवक्ता

(2) C.W.P. No. 6461 of 1998

डॉ. बलराम के. गुप्ता, याचिकाकर्ता के लिए वकील,

राकेश टिकू, केंद्र सरकार के वरिष्ठ स्थायी वकील, के साथ एम. एस. गुगलानी, अतिरिक्त केंद्र सरकार के स्थायी वकील, प्रतिवादी न. 1 के लिए।

रूपिंदर खोसला, पंजाब के उप महाधिवक्ता, प्रतिवादी न. 2 के लिए।

राजीव आत्मा राम, प्रतिवादी न. 3 के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी, जे.

(1) ये याचिकाएँ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ (संक्षेप में, न्यायाधिकरण) द्वारा पारित 3 फरवरी, 1998 के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई हैं-*जिसके* अनुसार 1997 का O.A. No. 1161 of 1997- *पी. लाल बनाम भारत संघ और अन्य (*C.W.P. No. 6196 of 1998 में प्रत्यर्थी न. 3 और C.W.P. No. 6461 of 1998 में याचिकाकर्ता) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन वापस लेने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 14 अगस्त, 1997 को पारित आदेश को रद्द कर दिया गया।

(2) रिट याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक तथ्य यह हैं कि 1965 से 1972 तक भारतीय सेना की सेवा करने के बाद, श्री आर. के. शर्मा 16 जुलाई, 1972 को भारतीय पुलिस सेवा (संक्षिप्त में, आई. पी. एस.) (पंजाब संवर्ग) में शामिल हुए। जनवरी, 1982 से 30 सितंबर, 1990 तक, वे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसंधान और विश्लेषण विंग में प्रतिनियुक्ति पर रहे। उन्हें 1 अक्टूबर, 1990 को मूल राज्य में वापस भेज दिया गया था। हालाँकि, पंजाब सरकार के सक्षम प्राधिकारी के सामने ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के बजाय, वह छुट्टी पर चले गए और 30 सितंबर, 1991 को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया। उन्हें पुलिस उप महानिरीक्षक, कम्प्यूटरीकरण और वायरलेस, पंजाब के रूप में तैनात किया गया। 21 दिनों के बाद, उन्होंने अपनी माँ, जो उनकी बहन के साथ लंदन में रह रही थीं, की बीमारी के आधार पर 24 अक्टूबर, 1991 से 10 नवंबर, 1991 तक पूर्व-भारत छुट्टी के लिए आवेदन किया। बिना छुट्टी स्वीकृत कराए ही उन्होंने भारत छोड़ दिया। लंदन में रहते हुए उन्होंने छुट्टी बढ़ाने के लिए आवेदन किया। 20 जनवरी, 1992 के एक आदेश द्वारा पंजाब सरकार ने 24 अक्टूबर, 1991 से 10 जनवरी, 1992 तक की अवधि के लिए उनके पक्ष में अर्जित अवकाश को इस स्पष्ट संकेत के साथ मंजूरी दी कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। छुट्टी को और बढ़ाने के उनके अनुरोध को पंजाब सरकार ने स्पष्ट रूप से 9 जून, 1992 के मीमो न. 7/ll/91-5 H (i)-2261/5309 के तहत अस्वीकार कर दिया था। हालाँकि, वह 12 अप्रैल, 1993 तक ड्यूटी के लिए उपस्थित नहीं हुए, जब उन्होंने पंजाब के पुलिस महानिदेशक के समक्ष ज्वाइनिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस बीच, उन्होंने 31 अक्टूबर, 1992 से आई. पी. एस. से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 22 जून, 1992 को आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन 13 जुलाई, 1992 को तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, पंजाब को संबोधित संचार के माध्यम से इसे वापस ले लिया। छुट्टी को और बढ़ाने के उनके अनुरोध को सक्षम प्राधिकारी द्वारा फिर से अस्वीकार कर दिया गया और उनके खिलाफ अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 (संक्षेप में '1969 नियम') के नियम 8 के तहत निम्नलिखित आरोप पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गईः—

"श्री आर. के. शर्मा, आई. पी. एस. आपको निम्नानुसार आरोपित किया जाता हैः—

(i) जब आप पंजाब में डी. आई. जी., कम्प्यूटरीकरण और वायरलेस के रूप में तैनात थे, तब आप सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पूर्व-भारतीय अवकाश प्राप्त किए बिना भारत से इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए।

(ii) 11 जनवरी, 1992 से 30 जून, 1992 तक छुट्टी में आपके विस्तार को , दिनांक 9 जून, 1992 के सरकार के पत्र न. 7 / 11 /92-5 H(i)/3261/5309 द्वारा अस्वीकार कर *दिया* गया था और तदनुसार आपको ड्यूटी में शामिल होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन सरकार के आदेशों का पालन करने में विफल रहे।

(iii) यह कि आप अभी भी सरकार की मंजूरी के बिना छुट्टी पर हैं।

(2) आपके उपरोक्त कार्य आपकी ओर से गंभीर कदाचार के समान हैं जो एक लोक सेवक के लिए अशोभनीय है और इस प्रकार आपने अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का उल्लंघन किया है।"

(3) पंजाब के पुलिस महानिदेशक द्वारा श्री आर. के. शर्मा को उनके 14 जनवरी, 1993 के पत्र के साथ उपरोक्त दोषारोपण के मीमो को भेजे गया। हालांकि, इससे पहले कि विभागीय जांच में कोई ठोस प्रगति हो पाती, उन्होंने 5 मई, 1993 को पुलिस महानिदेशक, पंजाब को आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें इस अनुरोध के साथ सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की गई कि आरोप पत्र वापस लिया जाए। उन्होंने तीन महीने के अग्रिम नोटिस के बदले में Rs. 30, 870.00 भी जमा कर दिए। उनके आवेदन के पैरा 2 और 3 निम्नानुसार हैंः—

"*ज्ञापन* न l-16/93/Con.-SA-5/1289, दिनांक 14 जनवरी, 1993 के माध्यम से, मुझे यह कारण बताने

के लिए एक आरोप पत्र जारी किया गया था की मेरे खिलाफ अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का उल्लंघन करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। इस संबंध में मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि मेरा कभी भी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने का इरादा नहीं था, जो मेरे पिछले रिकॉर्ड से स्पष्ट है। चूंकि परिस्थितियाँ इतनी मजबूर करने वाली और गंभीर थीं कि मेरे पास छुट्टी बढ़ाने के लिए आवेदन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मेरी निरंतर बीमारी मेरी असमर्थता का कारण थी और तब भी जब मुझे डॉक्टर द्वारा यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। मैं राज्य सरकार के आदेशों का पालन करते हुए 12 अप्रैल, 1993 को फिर से अपने कर्तव्य में शामिल हुआ। यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोप पत्र को वापस लिया जाए।

सितंबर, 1990 से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं लगातार कई स्वास्थ्य समस्याओं से गुजर रहा हूं। मेरा भारत के साथ-साथ विदेशों में भी इलाज चल रहा है लेकिन अभी तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूं और इन परिस्थितियों में, मेरी आधिकारिक सेवा जारी रखना संभव नहीं है। यह अनुरोध किया जाता है कि मुझे अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए। रु. 30870.00 की राशि 3 महीने के अग्रिम नोटिस के बदले में संलग्न रसीद के अनुसार खजाने में जमा किया गया है।"

(4) पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने अपना आवेदन पंजाब सरकार के गृह और न्याय विभाग के प्रधान सचिव को ज्ञापन न. 1-16/93 कॉन. SAA-5/17242 दिनांक 17 जून, 1993 के माध्यम से इस सिफारिश के साथ भेजा कि कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थिति के संबंध में आरोप पत्र वापस लिया जाए। राज्य सरकार ने उनकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया और 9 नवंबर, 1994 के ज्ञापन न. l/194/93-3H(I)/23201के माध्यम से श्री आर. के. शर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को हटा दिया गया।

(5) श्री आर. के. शर्मा द्वारा सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन को केंद्र सरकार ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि आई. पी. एस. अधिकारी को तीन महीने के नोटिस के बदले भुगतान करने की अनुमति देने के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। बेतार संदेश नं. 31012/4/93-IPS. II, दिनांक 27 सितंबर, 1993 के माध्यम से पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को यह जानकारी दी गई। उस सूचना की प्राप्ति पर, गृह विभाग में पंजाब सरकार ने तीन महीने के नोटिस को माफ करने के अनुरोध के साथ केंद्रीय सरकार को 29 सितंबर, 1993 की पत्र न. No. l/194/93-3H(I) को भेजा। इसे भी भारत सरकार ने फैक्स संदेश न. 31012/3/94-IPS II, दिनांक 13 सितंबर, 1994, के माध्यम से खारिज कर दिया था। लगभग दो महीने बाद, पंजाब सरकार के गृह और न्याय विभाग ने 29 नवंबर, 1994 को सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय को पत्र न. 1/194/93-3HI (I)/24614 भेजा, जिसमें दोहराया गया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए श्री आर. के. शर्मा के आवेदन को यह उल्लेख करते हुए स्वीकार किया जा सकता है कि वह 5 मई, 1993 से ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए थे। इस पत्र के प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिए गए हैं:—

"मुझे ऊपर उल्लिखित विषय पर भारत सरकार, एम. एच. ए. के फैक्स संदेश न. 31-12/3 94-IPS. II, दिनांक 13 सितंबर, 1994 का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है और यह बताने के लिए कि श्री. आर. के. शर्मा, आई. पी. एस. (Pb: 1967) ने तत्काल प्रभाव से 5 मई, 1993 को समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था। उन्होंने पंजाब कोषागार में 3 महीने की नोटिस अवधि के बदले में रु. 30, 870.00 की एक राशि जमा की क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भारत सरकार ने तीन महीने की नोटिस अवधि को माफ करने के संबंध में उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है और राज्य सरकार की सिफारिशों के साथ इस

उद्देश्य के लिए अधिकारी से एक नए अनुरोध की आवश्यकता है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि अधिकारी संभवतः विदेश में है और 5 मई, 1993 से कार्यालय में उपस्थित नहीं है और उसका पत्राचार पता राज्य सरकार को ज्ञात नहीं है। इसलिए, यह फिर से अनुरोध किया जाता है कि यदि संभव हो, तो उनके मूल आवेदन जमा करने की तारीख यानी 5 मई, 1993 से तीन महीने की नोटिस अवधि पर विचार किया जाए और उन्हें 3 अगस्त, 1993 से समयपूर्व सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जा जाए, ताकि लंबित मामले को अंतिम रूप दिया जा सके।"

(6) इस बार, भारत सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी) नियम, 1958 (संक्षेप में, '1958 नियम') के नियम 16 (2A) के तहत परिकल्पित तीन महीने के नोटिस की आवश्यकता के साथ श्री आर. के. शर्मा को 3 मई, 1993 से सेवानिवृत्त करने का आदेश दिया। भारत सरकार द्वारा 2 मार्च, 1995 को पारित आदेश की एक प्रति श्री आर. के. शर्मा को पुलिस महानिदेशक, पंजाब द्वारा 25 अप्रैल, 1995 के पत्र के साथ 5 मई, 1993 के आवेदन में दिए गए उनके पते , अर्थात आर-862, न्यू राजिंदर नगर, नई दिल्ली-110060 पर भेजी गई थी। यह श्री सूरज पाल, कांस्टेबल न. 82/754 के माध्यम से भी हाथ से भेजा गया था। डाक अधिकारियों द्वारा पंजीकृत पत्र वापस नहीं किया गया और श्री सूरज पाल ने बताया कि घर के मालिक श्री कस्तूरी लाई के अनुसार, उस घर में आर. के. शर्मा नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था।

(7) इस बीच, श्री आर. के. शर्मा ने 18 अप्रैल, 1995 को गृह सचिव, भारत सरकार को आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अपने अनुरोध को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई। उनके आवेदन को भारत सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया था और यह पंजाब सरकार को पत्र न. 3012/3/94-IPS II, दिनांक 20 जून, 1995 के माध्यम से सूचित किया गया था। इस निर्णय के बारे में पता चलने पर, श्री आर. के. शर्मा ने अपने अनुरोध पर पुनर्विचार करने के लिए 20 जुलाई, 1995 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और जोर देते हुए कहा की 2 मार्च, 1995 के आदेश की उन पर सेवा नहीं की गई थी। उन्होंने 4 मार्च, 1996 के अभ्यावेदन के माध्यम से इस अनुरोध को दोहराया। राज्य सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन वापस लेने की अनुमति देने के उनके अनुरोध को स्वीकार करने की भी सिफारिश की। इस पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने श्री आर. के. शर्मा के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को पत्र न. 31012/3/94-IPS. II, दिनांक 14 अगस्त, 1997 (C.W.P. No. 6196 of 1998 मे अनुलग्नक P12 और 1998 के C.W.P. No. 6461 of 1998 में अनुलग्नक P13) के माध्यम से यह जानकारी दी गई।

(8) इस स्तर पर, हम यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि 2 मार्च, 1995 का पत्र प्राप्त होने *पर-जिसके* माध्यम से भारत सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए श्री आर. के. शर्मा के आवेदन की स्वीकृति से अवगत कराया, पुलिस महानिदेशक, पंजाब ने उन्हें पेंशन के कागजात के साथ 26 जून, 1996 का पत्र भेजा, लेकिन उन्होंने उस पत्र या पुलिस महानिरीक्षक, (प्रावधान), पंजाब द्वारा 28 मई, 1996 को भेजे गए डी. ओ. पत्र न. 8131/A-I, का कोई जवाब नहीं दिया। यह स्थिति इस तथ्य के बावजूद बनी रही कि 22 नवंबर, *1996* के आदेश के अनुसार, पंजाब सरकार ने 37 दिनों की अर्जित छुट्टी, 229 दिनों की *अर्ध वेतन* छुट्टी और 532 दिनों की अतिरिक्त सामान्य छुट्टी के लिए पूर्व-कार्योत्तर मंजूरी देकर उनकी अनुपस्थिति को नियमित कर दिया और पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने उनके वेतन के पुनर्निर्धारण के लिए 27 फरवरी, 1997 का परिणामी आदेश पारित किया।

(9) श्री पी. लाल (C.W.P. No. 6196 of 1998 में प्रत्यर्थी न. 1 और C.W.P. No. 6461 of 1998 में प्रत्यर्थी न. 3), जो आई. पी. एस., पंजाब कैडर (1969 बैच) के सदस्य भी हैं, ने 14 अगस्त, 1997 के

आदेश को रद्द करने के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन (O.A. No. 1161 of 1997) दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि भारत सरकार के पास श्री आर. के. शर्मा द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनके अनुरोध को वापस लेने के लिए 18 अप्रैल, *1995* के आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाते हुए कहा कि यह विवादित आदेश बाहरी कारणों से पारित किया गया था।

(10) अपने जवाब दावों में, भारत संघ, पंजाब राज्य और श्री आर. के. शर्मा ने न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए श्री पी. लाल के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि 14 अगस्त, 1997 के आदेश ने उनकी सेवा की शर्तों को प्रभावित नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि श्री आर. के. शर्मा के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने के लिए उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए भारत सरकार द्वारा कोई अवैध कार्य नहीं किया गया था। श्री आर. के. शर्मा ने यह भी अनुरोध किया कि 2 मार्च, 1995 का आदेश उनके लिए अप्रभावी था क्योंकि उसे उन्हें सूचित नहीं किया गया था और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनके अनुरोध को वापस लेने के लिए आवेदन को स्वीकार करने के लिए नियमों में कोई रोक नहीं थी।

(11) पक्षकारों की सुनवाई करने के बाद, न्यायाधिकरण ने श्री पी. लाल के आवेदन को निम्नलिखित अवधारनाएं करके स्वीकार कर लिया:

> "8. इस मामले में निर्धारण के लिए विवादास्पद बिंदु यह है कि प्रत्यर्थी न. 3-आर. के. शर्मा और सरकार के बीच स्वामी और सेवक का संबंध कितने समय तक और कब तक बना रहा। वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, प्रतिवादी-आर. के. शर्मा 23 अक्टूबर, 1991 को छुट्टी की औपचारिक मंजूरी के बिना अपनी माँ की बीमारी के आधार पर यूनाइटेड किंगडम में चले गए। डेढ़ साल बाद उन्होंने 12 अप्रैल, 1993 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में रिपोर्टिंग की और पोस्टिंग के लिए अनुरोध किया। जब राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया, तो उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और आरोप पत्र वापस लेने के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत किया और सरकारी आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना फिर से विदेश चले गए। यह विवादित नहीं है कि जब वे विदेश में थे, तब उन्होंने निजी क्षेत्र में नौकरी की थी। हमारा इस विचार के हैं कि प्रतिवादी आर. के. शर्मा ने वर्ष 1991 से न तो सार्वजनिक कर्तव्य का पालन किया है और न ही पिछले 7 (सात) वर्षों से पुलिस का काम किया है। इस बीच, उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना नोटिस प्रस्तुत किया और विदेश चले गए और यू.एस.ए में निजी नौकरी कर ली। इससे प्रत्यर्थी आर. के. शर्मा और सरकार के बीच स्वामी और सेवक के संबंध प्रभावी रूप से टूट गए। यह विच्छेद भी अंतिम रूप ले चुका है। प्रत्यर्थी न. 1- भारत सरकार के पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को वापस लेने को स्वीकार करने वाला विवादित आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि आर. के. शर्मा- प्रत्यर्थी न. 3 और भारत सरकार के बीच स्वामी और सेवक का संबंध अब मौजूद नहीं था। इस विवादित आदेश का प्रभाव सेवा में एक पार्श्व प्रवेश है जिसकी मौजूदा नियमों के तहत अनुमति नहीं है। हमारे दिमाग एक अधिकारी पर में सरकारी आदेश की एक प्रति की सेवा करने का सवाल उन मामलों में उत्पन्न होगा जहां अधिकारी सरकारी आदेश की प्रतीक्षा करते हुए ड्यूटी पर बना रहता है। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी आर. के. शर्मा ने अपने कार्यों से, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सरकारी आदेशों की प्रतीक्षा नहीं की, सरकार के साथ स्वामी और सेवक के अपने संबंध को तोड़ दिया, विदेश चले गए और निजी क्षेत्र में रोजगार लिया। वह अब इस पर वापस नहीं जा सकते। हम पर कई निर्णयों का दबाव डाला गया। हालाँकि, हम उन्हें संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं क्योंकि वर्तमान मामले के तथ्य विशिष्ट और असामान्य हैं, और मामले में पहले के निर्णय में शामिल नहीं हैं।"

(12) याचिकाकर्ताओं ने न्यायाधिकरण के आदेश को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी है:—

(a) 14 अगस्त, 1997 के आदेश को रद्द करने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए कारण, श्री आर. के. शर्मा द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनके अनुरोध को वापस लेने के लिए प्रस्तुत 18 अप्रैल, 1995 के आवेदन पर विचार करने के लिए भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र, शक्ति और अधिकार से संबंधित मुद्दे के लिए अप्रासंगिक और बाहरी हैं।

(b) श्री पी. लाल के पास न्यायाधिकरण के *अधिकार क्षेत्र* को लागू करने का अधिकार नहीं था क्योंकि भारत सरकार द्वारा 14 अगस्त, 1997 को पारित आदेश ने उनकी सेवा की शर्तों को प्रभावित नहीं किया और उनकी वरिष्ठता या पदोन्नति की संभावनाओं पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन पर विचार करने के लिए आवश्यक नहीं था।

(c) भारत सरकार के 2 मार्च, 1995 के पत्र में निहित निर्णय अवैध था और *इसलिए, श्री* आर. के. शर्मा द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनके अनुरोध को वापस लेने के लिए 18 अप्रैल, 1995 के आवेदन पर विचार करके कोई अवैधता नहीं की गई थी।

(13) अपने जवाब दावा में, श्री पी. लाल ने न्यायाधिकरण के आदेश का समर्थन किया है और कहा है कि रिट याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि श्री आर. के. शर्मा अत्यधिक अपमानजनक आचरण के दोषी हैं। उन्होंने यह दिखाने के लिए कई दस्तावेज दर्ज किए हैं कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन जमा करने के बाद, श्री आर. के. शर्मा मैसर्स कैलिफोर्निया डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड के निदेशक बन गए थे और उन्होंने मैसर्स कैलिफोर्निया डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन आई. एन. सी., यू. एस. ए. के अंतर्गत नौकरी भी ली थी और हरियाणा सरकार के साथ बातचीत की थी और कई अनुबंध किए थे, लेकिन इन सभी तथ्यों को पंजाब सरकार के साथ-साथ भारत सरकार से भी छुपाया था। उन्होंने आगे कहा कि श्री आर. के. शर्मा ने 1969 के नियमों के नियम 8 के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के एकमात्र उद्देश्य के साथ 5 मई, 1993 को आवेदन प्रस्तुत किया था और जैसे ही पंजाब सरकार ने आरोप पत्र को वापस लेने का फैसला किया, उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने के लिए 18 अप्रैल, 1995 को आवेदन प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जानबूझकर भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनके अनुरोध को स्वीकार करने के लिए भेजे गए 2 मार्च, 1995 के पत्र को स्वीकार करने से भी परहेज किया। इसके अलावा, श्री पी. लाल ने कहा है कि 5 मई, 1993 के आवेदन को स्वीकार करने का भारत सरकार का निर्णय अंतिम और प्रभावी हो गया था क्योंकि इसे पंजाब सरकार को विधिवत सूचित कर दिया गया था, जिसने इसे श्री आर. के. शर्मा को उनके अंतिम बताए पते पर भेजा था और इसलिए, 18 अप्रैल, 1995 का आवेदन विचारणीय नहीं था और इसे सही ढंग से 10 जून, 1996 के पत्र के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

(14) आगे बढ़ने से पहले, हम यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि दलीलों के समापन के बाद, श्री पी. लाल ने C.W.P. No. 6196 of 1998 में 18 नवंबर, 2000 को अतिरिक्त हलफनामा दर्ज करने के लिए C.M. No. 2748990 of 2000 के साथ अनुलग्नक R1/26 से लेकर अनुलग्नक R1/29 दायर की, जिसमें यह दिखने के लिए कि 1995 और 1997 के बीच, श्री आर. के. शर्मा ने यमुना कार्य योजना के तहत दस सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण, निर्माण और निर्माण के लिए अनुबंध देने के उद्देश्य से मेसर्स कैलिफोर्निया डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन आई. एन. सी. का सक्रिय रूप से प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 18 नवंबर, 2000 के अतिरिक्त हलफनामे को रिकॉर्ड में रखने के लिए C.W.P. No. 6461 of 1998 में C.M. No. 27491-92 of 2000 भी दायर किया और R3/29 के लिए अनुबंध R3/26 दस्तावेज भी दाखिल किए। श्री आर. के. शर्मा की ओर से 27 नवंबर, 2000 को अपना हलफनामा और अनुलग्नक P35 से P40 दर्ज करने के लिए C.M. No. 28355-56 of 2000 भी दायर किया गया था दिखाने के लिए कि अब वह मैसर्स कैलिफोर्निया डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड का निदेशक नहीं है।

(15) हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि मैसर्स कैलिफोर्निया डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा किए गए भुगतान से कर की वसूली के लिए आयकर अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को रद्द करने के लिए दायर C.W.P. No. 14542 of 2000 की सुनवाई करते हुए, उस मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अपने मुवक्किल और हरियाणा राज्य के बीच हुए समझौते की एक प्रति पेश की थी, जिस पर याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से निदेशक के रूप में श्री आर. के. शर्मा ने हस्ताक्षर किए थे और उन्होंने हरियाणा सरकार को बताया था कि वह उक्त कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। इस पर ध्यान देने के बाद, हमने इन याचिकाओं को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। 20 नवंबर, C.W.P. No. 6461 of 1998 में भारत संघ की ओर से पेश वकील ने श्री आर. के. शर्मा की नियुक्ति के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए भारत सरकार की ओर से एक हलफनामा दर्ज करने के लिए स्थगन की मांग की। इसके बाद, श्री आर. के. मित्रा, उप सचिव, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने 25 नवंबर, 2000 को एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार ने कभी भी यह बयान नहीं दिया था कि श्री आर. के. शर्मा ने किसी विदेशी कंपनी में नौकरी नहीं की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई करना राज्य सरकार का काम है।

(16) अब हम उन प्रश्नों पर विचार करेंगे जो इन याचिकाओं में निर्धारण के लिए उत्पन्न होते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो विचार के योग्य है वह यह है कि क्या श्री *पी.* लाल को न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने का अधिकार था और क्या न्यायाधिकरण को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए श्री आर. के. शर्मा के अनुरोध को वापस लेने के लिए भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने के लिए उनकी प्रार्थना पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था।

(17) श्री राकेश टिकू, श्री एम. एस. गुग्लानी और डॉ. बलराम के. गुप्ता ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 (संक्षेप में, 1985 अधिनियम) के धारा 3 (q), 14 और 19 के प्रावधानों का उल्लेख किया और तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरण श्री पी. लाल द्वारा दायर आवेदन पत्र पर विचार नहीं कर सकता था क्योंकि 14 अगस्त, 1997 के पत्र में निहित निर्णय ने उनकी सेवा की शर्तों को प्रभावित नहीं किया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि श्री आर. के. शर्मा श्री पी. लाल से वरिष्ठ हैं और इसलिए, श्री आर. के. शर्मा को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपने अनुरोध को वापस लेने के लिए श्री लाल द्वारा प्रस्तुत 18 अप्रैल, 1995 के आवेदन को स्वीकार करने के लिए भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की वैधता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं था। विद्वान वकीलों ने आगे कहा कि श्री आर. के. शर्मा की वरिष्ठता की बहाली की केवल संभावना और श्री पी. लाल की पदोन्नति की संभावनाओं पर इसके परिणामी प्रतिकूल प्रभाव ने न्यायाधिकरण को 14 अगस्त, 1997 के पत्र में निहित निर्णय के खिलाफ आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं दिया। इस तर्क के समर्थन में

विद्वान वकीलों ने *रामचंद्र शंकर देवधर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।(1) मोहम्मद शुजात ए. एच. और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2) महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य बनाम चंद्रकांत अनंत कुलकर्णी और अन्य (3)के. जगदीशन* बनाम *भारत संघ और अन्य (4), भारत संघ और अन्य बनाम एस. एल. दत्ता और दूसरा।(5) और भारत संघ और अन्य बनाम एन. वाई. आप्टे और अन्य (6)* पर आश्रय रखा।

(18) दूसरी ओर, श्री राजीव आत्मा राम ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने श्री लाल के आवेदन पत्र पर विचार करके कोई कानूनी त्रुटि नहीं की क्योंकि उसके पास भर्ती और सेवा की शर्तों और उससे जुड़े मामलों के संबंध में सभी प्रकार के विवादों और शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और अधिकार है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र किसी ऐसे मामले में आवेदन पर विचार करने तक सीमित नहीं है जो सीधे आवेदक को प्रभावित कर सकता है और उपयुक्त मामलों में, यह किसी कार्रवाई, निर्णय या आदेश को रद्द कर सकता है जो अप्रत्यक्ष रूप से आवेदक को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय ने पुलिस महानिरीक्षक के पद पर उनके मुवक्किल की वरिष्ठता को सीधे प्रभावित करना था और इसलिए, उन्हें 1985 के अधिनियम के तहत एक आवेदन भरकर इसे चुनौती देने का पूरा अधिकार था। विद्वान वकील ने न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन *दायर करने* के लिए श्री पी लाल की स्थिति पर अपने तर्क के समर्थन में *लाखीराम बनाम हरियाणा राज्य (7)* में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर दृढ़ता से आश्रय रखा।

(19) हमने संबंधित तर्कों पर गंभीरता से विचार किया है। न्यायाधिकरण की अधिकारिता के दायरे और दायरे को तय करने के उद्देश्य से, 1985 के अधिनियम की प्रस्तावना और उक्त अधिनियम की धारा 3 (q); 14 (1), (3), 15 (1), (3) और 19 (1) में निहित प्रावधानों का उल्लेख करना उपयोगी होगा। वह इस प्रकार से है —

"प्रस्तावना

प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा विवादों और शिकायतों के न्यायनिर्णयन या परीक्षण का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम

(1) 1974 (1) एसएलआर 470।
(2) 1975 (3) एससीओ 76.
(3) 1982 (1) एसएलआर 697।
(4) 1990 (2) एसएलआर 59।
(5) 1991 (1) एससीसी 505।
(6) 1998 (6) एससीसी 741।
(7) 1981 (3) एसएलआर 110।

संघ या किसी राज्य या भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या संविधान के अनुच्छेद 323A के अनुसरण में सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या सोसायटी के मामलों के संबंध में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में और उनसे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए।

XX XX XX XX XX XX XX XX XX

3.(q) किसी व्यक्ति के संबंध में "सेवा मामले" से संघ या किसी राज्य या भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के मामलों के संबंध में उसकी सेवा की शर्तों से संबंधित सभी मामले, जैसा भी मामला हो, सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम (या समाज) के संबंध में अर्थ है -

(i) पारिश्रमिक (भत्तों सहित), पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ;

(ii) कार्यकाल**; पुष्टि,** वरिष्ठता, **पदोन्नति,** प्रत्यावर्तन, समयपूर्व सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति **सहित**;

(iii) किसी भी प्रकार की छुट्टी;

(iv) अनुशासनात्मक मामले; या

(v) कोई भी अन्य मामले।

14. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की अधिकारिता, शक्तियाँ और अधिकार -

(1) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित किए जाने के अलावा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण नियत दिन को और उससे पहले, सभी न्यायालयों द्वारा (सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर) निम्नलिखित के संबंध में उस दिन से तुरंत पहले प्रयोग की जाने वाली सभी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकरण का प्रयोग करेगा -

(a) किसी अखिल भारतीय सेवा या संघ की किसी सिविल सेवा या संघ के अधीन किसी सिविल पद या रक्षा से जुड़े किसी पद पर या रक्षा सेवाओं में भर्ती और भर्ती से संबंधित मामले, दोनों ही मामलों में, एक नागरिक द्वारा भरा गया पद :—

(b) सभी सेवा मामले से संबंधित -

(i) किसी भी अखिल भारतीय सेवा का सदस्य; या

(ii) संघ की किसी सिविल सेवा या संघ के अधीन किसी सिविल पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति [जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य नहीं है] या खंड (सी) में निर्दिष्ट व्यक्ति को संघ की किसी भी सिविल सेवा या संघ के तहत किसी भी सिविल पद पर नियुक्त किया गया है; या

(iii) एक नागरिक जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य नहीं है या किसी रक्षा सेवा या रक्षा से जुड़े पद पर नियुक्त खंड (सी) में निर्दिष्ट व्यक्ति है,

और संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में या भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम (या समाज) के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के संबंध में ऐसे सदस्य, व्यक्ति या नागरिक की सेवा से संबंधित है।

(c) खंड (बी) के उपखंड (ii) या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति के संबंध में संघ के मामलों के संबंध में सेवा से संबंधित सभी सेवा मामले, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सेवाएं किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या किसी निगम (या समाज) या अन्य निकाय द्वारा केंद्र सरकार के निपटान में दी गई हैं।

[**स्पष्टीकरण।—शंकाओं** को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस उप-धारा में "संघ" के संदर्भों का अर्थ किसी केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भों को भी शामिल करने के रूप में लगाया जाएगा।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण इस उप-धारा के प्रावधान किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम (या समाज) पर लागू होने की तारीख को और उससे, सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकरण का भी प्रयोग करेगा जो की

सभी न्यायालयों द्वारा उस तारीख से तुरंत पहले प्रयोग की जा सकती थी-

(a) ऐसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम (या सोसायटी) के मामलों के संबंध में किसी भी सेवा या पद पर भर्ती और भर्ती से संबंधित मामले; और

(b) [उप-धारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा] किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम (या सोसायटी) के मामलों के संबंध में किसी सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति से संबंधित और ऐसे मामलों के संबंध में ऐसे व्यक्ति की सेवा से संबंधित सभी सेवा मामले।

(c) राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की अधिकारिता, शक्तियाँ और अधिकार।—(1) इस **अधिनियम** में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित किए जाने के अलावा, किसी राज्य के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नियत दिन को और उससे तुरंत पहले सभी न्यायालयों (सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर) द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकरण का निमिनलिखित के संबंध मे प्रयोग करेगा -

(a) राज्य की किसी सिविल सेवा या राज्य के तहत किसी सिविल पद पर भर्ती और भर्ती से संबंधित मामले;

(b) राज्य की किसी सिविल सेवा या राज्य के अधीन किसी सिविल पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति [जो इस उप-धारा के खंड (सी) में निर्दिष्ट व्यक्ति या धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट सदस्य, व्यक्ति या नागरिक नहीं है] से संबंधित सभी सेवा मामले और राज्य के मामलों या राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या समाज के संबंध में ऐसे व्यक्ति की सेवा से संबंधित सभी सेवा मामले;

(c) खंड (बी) में निर्दिष्ट किसी सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति के संबंध में राज्य के मामलों के संबंध में सेवा से संबंधित सभी सेवा मामले, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सेवाएं किसी ऐसे स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम या सोसायटी या अन्य निकाय द्वारा दी गई हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व में है, ऐसी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के निपटान में।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, किसी राज्य के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी उस तारीख से, जिस दिन से इस उप-धारा के प्रावधान किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम (या समाज) पर लागू होते हैं, लागू करेगा। के संबंध में सभी न्यायालयों द्वारा उस तिथि से ठीक पहले प्रयोग किए जाने वाले सभी क्षेत्राधिकार, शक्तियां और अधिकार निमिनलिखित के संबंध मे -

(a) ऐसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम (या सोसायटी) के मामलों के संबंध में किसी भी सेवा या पद पर भर्ती और भर्ती से संबंधित मामले; और

(b) ऐसे स्थानीय या अन्य प्राधिकारी या निगम (या सोसायटी) के मामलों के संबंध में किसी सेवा या पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति [इस धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा] से संबंधित और ऐसे मामलों के संबंध में ऐसे व्यक्ति की सेवा से संबंधित सभी सेवा मामले।

19. न्यायाधिकरणों को आवेदन—(1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी मामले से संबंधित किसी भी आदेश से व्यथित व्यक्ति अपनी शिकायत के निवारण के लिए न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकता है।

स्पष्टीकरण— इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "आदेश" का अर्थ है -

(a) भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण द्वारा या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम (या समाज) द्वारा किया गया आदेश; या

(b) खंड (ए) में निर्दिष्ट सरकार के किसी अधिकारी, समिति या अन्य निकाय या अभिकरण या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम द्वारा किया गया आदेश।"

(20) ऊपर प्रस्तुत प्रस्तावना को पढ़ने से यह पता चलता है कि 1985 के अधिनियम के पीछे मुख्य उद्देश्य संघ के मामलों आदि के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए विशेष न्यायिक मंच का निर्माण करना था और इस तरह नियमित न्यायालयों का बोझ कम करना और भर्ती, सेवा मे भर्ती और शर्तों से संबंधित मामलों के संबंध में शिकायत करने वाले व्यक्तियों के लिए त्वरित उपचार की जांच करना भी था।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, 1985 के अधिनियम के तहत बनाए गए न्यायाधिकरणों को भर्ती, पदोन्नति, वेतन, पारिश्रमिक, पेंशन आदि सहित सभी सेवा मामलों के संबंध में अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख से तुरंत पहले सभी न्यायालयों द्वारा [सर्वोच्च *न्यायालय को छोड़कर* और *एल. चंद्र कुमार बनाम भारत* संघ और अन्य (8) मे 7 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को छोड़कर] प्रयोग करने योग्य अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और अधिकार प्रदान किए गए हैं। "सीमा की छोटी अवधि का निर्धारण, न्यायाधिकरणों को अपनी प्रक्रिया तैयार करने की शक्ति प्रदान करना, सर्वोच्च न्यायालय (और अब उच्च न्यायालयों) को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का बहिष्करण और लंबित मुकदमों और अन्य कार्यवाही को न्यायाधिकरणों को हस्तांतरित करना जैसे कारक, भर्ती आदि के संबंध में विवादों और शिकायतों से निपटने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र वाले विशेष मंच बनाने के संसद के इरादे का स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं। "भर्ती और भर्ती से संबंधित मामलों, संबंधित सभी सेवा मामलों" और ऐसी सेवाओं से संबंधित अभिव्यक्तियों का उपयोग और 1985 के अधिनियम की धारा 14 और 15 में व्यक्ति से पता चलता है कि न्यायाधिकरण को प्रदत्त शक्तियां विस्तृत और व्यापक हैं और इसमें पूर्व नियुक्ति और सेवानिवृत्ति के बाद से संबंधित सेवा विवादों के सभी पहलू शामिल हैं। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि 1985 के अधिनियम के तहत बनाए गए न्यायाधिकरण उन कार्यों, निर्णयों और आदेशों के संबंध में विवादों और शिकायतों पर विचार कर सकते हैं जो आवेदक को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रभावित कर सकते हैं।

(21) इस संदर्भ में, सेवा विवादों और शिकायतों के निर्धारण से जुड़ी याचिकाओं पर सीधे विचार करने के लिए उच्च न्यायालयों और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को धारा 28 (1985 के असंशोधित अधिनियम से) के अंतर्गत अपवर्जित करने का उल्लेख करना उचित होगा। *एस. पी. संपत कुमार बनाम भारत संघ*(9) मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद इस स्थिति को बदल दिया गया था, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को बहाल किया गया था। *एल. चंद्र* कुमार के मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के बाद, स्थिति में और बदलाव आया और न्यायिक प्रतिबंध के आधार पर, सेवा विवादों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिकाओं पर विचार करने की उच्च न्यायालय की शक्ति को बहाल कर दिया गया। ऐसा करते समय, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों

(8) जे. टी. 1997 (3) एससी 589
(9) 1985 (4) एससीसी 458

ने कहा कि न्यायाधिकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 और 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन में पूरक भूमिका निभाते रहेंगे। सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के पैराग्राफ 101 में इस संबंध में की गई कुछ अवधारणाओं को नीचे दोहराया गया है:—

"अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को

प्रदत्त अधिकार क्षेत्र हमारे संविधान की अलंघनीय मूल संरचना का हिस्सा है। जबकि इस अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता है, अन्य न्यायालय और न्यायाधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226/227 और 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का निर्वहन करने में पूरक भूमिका निभा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B के तहत बनाए गए न्यायाधिकरणों के पास वैधानिक प्रावधानों और नियमों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की क्षमता है। हालाँकि, इन न्यायाधिकरणों के सभी निर्णय उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष जांच के अधीन होंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित न्यायाधिकरण आता है। फिर भी, न्यायाधिकरण कानून के उन क्षेत्रों के संबंध में पहली बार के न्यायालयों की तरह कार्य करना जारी रखेंगे जिनके लिए उनका गठन किया गया है। इसलिए, वादियों के लिए यह खुला नहीं होगा कि वे सीधे उच्च न्यायालयों से संपर्क कर सकें, उन मामलों में भी जहां वे संबंधित न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र की अनदेखी करके वैधानिक विधान (विशेष न्यायाधिकरण बनाने वाले विधान को चुनौती देने वाले कानूनों को छोड़कर) पर सवाल उठाते हैं। अधिनियम की धारा 5 (6) वैध और संवैधानिक है और इसकी व्याख्या हमारे द्वारा बताए गए तरीके से की जानी चाहिए।"

(22) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न्यायाधिकरणों के पास सभी प्रकार के सेवा विवादों और शिकायतों पर विचार करने का विशेष क्षेत्राधिकार है, जो निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं पर सीधे विचार करने के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। इसलिए, 1985 के अधिनियम की धारा 3 (q) और 19 के साथ पठित धारा 14 और 15 के प्रावधानों को एक प्रतिबंधित अर्थ देने के लिए कोई वैध आधार प्रतीत नहीं होता है ताकि न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकरण को आवेदनों पर विचार करने के लिए सीमित किया जा सके जो सीधे आवेदक के सेवा मामलों/सेवा शर्तों को प्रभावित करते हैं। यदि केवल कार्रवाई, निर्णय या आदेशों के खिलाफ आवेदनों पर विचार करने के लिए न्यायाधिकरण के अधिकार और अधिकार क्षेत्र के बारे में एक संकीर्ण दृष्टिकोण लिया जाता है जो

सीधे आवेदक को प्रभावित करता है, तब सेवा विवादों के निर्णय के लिए विशेष तंत्र बनाने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा क्योंकि उस स्थिति में, एक से अधिक न्यायिक मंचों के पास विभिन्न प्रकार के सेवा विवादों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। यह 1985 के अधिनियम की योजना को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इसलिए, इस सर्वविदित नियम को ध्यान में रखते हुए कि यदि किसी कानून की दो व्याख्याएं संभव हैं, तो न्यायालय उस नियम को अपनाएगा जो कानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है और इसे उद्देश्यपूर्ण बनाता है और उसे खारिज करता है जो इसके उद्देश्य को विफल कर सकता है, हम मानते हैं कि 1985 के अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरणों को भर्ती, सेवा मामलों और उससे संबंधित मामलों या आकस्मिक विषयों से संबंधित शिकायतों या विवाद पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।

(23) न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का विस्तृत और व्यापक दायरे को आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की पूर्ण पीठों द्वारा भी मान्यता दी गई है। के. *नागा राजा बनाम* अधीक्षण *अभियंता, सिंचाई विभाग, चित्तूर (10)* आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ ने 1985 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:—

"इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भर्ती प्रक्रिया का एक प्रारंभिक हिस्सा है जो नियुक्ति में समाप्त होती है। चयन भर्ती प्रक्रिया और आय नियुक्ति का हिस्सा है। रिक्तियों को अधिसूचित करना, आवेदन आमंत्रित करना, उनकी लिखित या मौखिक परीक्षा और साक्षात्कार का परीक्षण करना, उनकी लिखित या मौखिक परीक्षा और साक्षात्कार का परीक्षण करना, चयन और नियुक्ति के लिए अनुमोदन भर्ती की प्रक्रिया में सभी अलग-अलग चरण हैं। इसलिए, इससे

कोई फर्क नहीं पड़ता अगर प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की प्रस्तावना और उसकी धारा 14 और 15 में केवल भर्ती शब्द का उपयोग किया जाता और भर्ती से संबंधित कार्य मामलों के उपयोग से बचा जाता क्योंकि भर्ती से संबंधित मामले को भर्ती में ही शामिल माना जाता ।वाक्यांश का उपयोग कार्य और संयोजन भर्ती से पहले भर्ती से संबंधित है और निश्चित रूप से इसके महत्व में प्रावधान को व्यापक बनाने के लिए विधायी इरादे का संकेत है ताकि भर्ती से संबंधित मामलों को शामिल किया जा सके ताकि भर्ती से संबंधित मामलों में ऐसे सभी मामलों को शामिल किया जा सके जो अनजाने में भर्ती से बाहर छोड़े जा सकते हैं।

---

(10) AIR 1987 AP 230

इस तरह की व्याख्या न्यायाधिकरण अधिनियम के अधिनियमन के उद्देश्य को भी आगे बढ़ाएगी।

यह सर्वविदित है कि 42वें संशोधन द्वारा न्यायालयों के बोझ को कम करने और प्रशासनिक न्यायाधिकरण नामक न्यायिक निकायों के माध्यम से सेवा मामलों में न्याय का त्वरित वितरण सुनिश्चित करने के विचार के साथ संविधान के भाग XIV-A में Art.323-A और अनुच्छेद 323-B को स्थान दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने एस. पी. संपत कुमार-I [1985)(4) S.C.C 458] और एस. पी. संपत कुमार-I [1987)(1) L.L.J.128] में संविधान और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के अधिनियमन में Art.323-A को शामिल करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया है और कहा है। न्यायाधिकरणों का उद्देश्य उच्च न्यायालयों को लोक सेवकों के हित में सेवा विवादों के त्वरित निपटारे का आश्वासन देने के मामलों के बढ़ते बैकलॉग से राहत देना है। न्यायाधिकरण अधिनियम एक उपचारात्मक विधान है। एक उपचारात्मक अधिनियम का अर्थ लगाने में, न्यायालय को व्यापक संचालन देना चाहिए जिसकी अधिनियम की भाषा अनुमति देगी.....

भर्ती शब्द की व्याख्या करने के बाद, जैसा कि हमने किया है, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप, हमारी राय है कि हम 'भर्ती-पूर्व मामलों' और 'भर्ती मामलों' के बीच अंतर करके प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की अधिकारिता से न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र बनाने में कोई औचित्य नहीं देखते हैं, क्योंकि ऐसा अंतर वास्तविक नहीं होगा, बल्कि बिना किसी अंतर के केवल एक अंतर होगा। जिसे कुछ निर्णयों में 'पूर्वनियुक्ति' विवाद कहा गया है, वह अधिनियम के अर्थ के भीतर भर्ती से संबंधित विवाद और संविधान के Art.323-A के अर्थ के भीतर भर्ती के संबंध में विवाद या शिकायतों के अलावा और कुछ नहीं है। इस तरह का विवाद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में होगा।

प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट और उस पर भरोसा किए गए न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 19 को प्रक्रिया नामक अध्याय IV में स्थान मिलता है, जबकि धारा 14 और 15 को अधिकार क्षेत्र, शक्ति और अधिकार क्षेत्र और न्यायाधिकरणों का प्राधिकरण अध्याय III में पाया जाता है।

धारा 19 केवल एक प्रक्रियात्मक या मशीनरी प्रावधान है जिसे न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 14 और 15 में निहित मूल प्रावधानों के दायरे को सीमित करने के लिए सेवा में नहीं लगाया जा सकता है.....”

(24) डॉ. *उषा नरवरिया बनाम* एम. *पी. राज्य और एक अन्य* (11) मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने कहा कि 1985 के अधिनियम की धारा 14 और 15 में आने वाले "भर्ती" शब्द में भर्ती, भर्ती की प्रक्रिया और भर्ती के परिणाम से संबंधित सभी मामले शामिल हैं। माननीय न्यायमूर्तियों ने आगे अभिनिर्धारित किया कि धारा 19 के प्रावधान प्रक्रियात्मक हैं और धारा 14 और 15 में निहित मूल प्रावधानों के दायरे को सीमित करने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उस निर्णय के पैरा 21 और 28, जिसमें इस विषय पर चर्चा शामिल है, इस प्रकार से हैं:—

“21. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भर्ती प्रक्रिया का एक प्रारंभिक हिस्सा है जो नियुक्ति में समाप्त होती है। रिक्तियों को अधिसूचित करना, आवेदन आमंत्रित करना, उनकी जांच, ऐसे योग्य उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देना जिन्हें परीक्षण के लिए रखा जाएगा, उनकी लिखित या मौखिक परीक्षा और साक्षात्कार, चयन और नियुक्ति के लिए अनुमोदन, भर्ती की प्रक्रिया में सभी अलग-अलग चरण हैं। इसलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की प्रस्तावना और उसकी धारा 14 और 15 में केवल "भर्ती" शब्द का उपयोग किया जाता और "भर्ती से संबंधित मामलों" शब्दों के उपयोग से बचते क्योंकि "भर्ती से संबंधित मामलों" को "भर्ती" में ही शामिल माना जाता। "भर्ती से संबंधित मामले" वाक्यांश का उपयोग 'भर्ती' शब्द से आगे बढ़ता है और निश्चित रूप से इसके महत्व में प्रावधान को व्यापक बनाने के लिए विधायी इरादे का सुझाव देता है ताकि "भर्ती से संबंधित मामलों" में ऐसे सभी मामलों को शामिल किया जा सके जिन्हें अनजाने में "भर्ती" से बाहर रखा जा सकता है। इस तरह की व्याख्या न्यायाधिकरण अधिनियम के अधिनियमन के उद्देश्य को भी आगे बढ़ाएगी।

28. प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट और उन पर भरोसा किए गए न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 19 को अध्याय IV में जगह मिलती है जिसका शीर्षक है-प्रक्रिया, जबकि धारा 14 और 15

ये अध्याय III में पाए जाते हैं जिसका शीर्षक है-न्यायाधिकरणों की अधिकारिता, शक्ति और अधिकार। धारा 19 केवल प्रक्रियात्मक या मशीनी प्रावधान है जिसे न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 14 और 15 में निहित मूल प्रावधानों के दायरे को सीमित करने के लिए सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। अधिनियम द्वारा प्रदत्त प्रत्यायोजित विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का उपयोग अधिनियम के प्रावधानों का अर्थ लगाने और अधिनियम में निहित विभिन्न मूल प्रावधानों की लंबाई और चौड़ाई निर्धारित करने के लिए भी नहीं किया जा सकता है। संभवतः बेताल सिंह महोर के मामले (उपरोक्त) में खंड पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण वैसा नहीं होता जैसा कि वह है, अगर हमारे द्वारा ऊपर देखे गए कई निर्णयों को उस खंड पीठ के समक्ष भी रखा जाता। बेताल सिंह महोर के मामले का सही निर्णय नहीं लिया गया था। इसे खारिज कर दिया जाता है।"

(25) तमिलनाडु *सरकार और अन्य बनाम पी. हेपज़ी* विमलबाई *(उपरोक्त) मामले में, मद्रास* उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने *अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड, मद्रास बनाम एस. राबन पीटर (12)* में उस न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि धारा 14 और 15 के तहत न्यायाधिकरण को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-IV में निहित प्रक्रियात्मक प्रावधानों का संदर्भ देकर कम नहीं किया जा सकता है। उस निर्णय में की गई कुछ अवधारणाओं को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः—

" हमारे विचार में, 'भर्ती से संबंधित मामले' अभिव्यक्ति का उपयोग भर्ती से संबंधित सभी मामलों को आच्छादित और शामिल करने के लिए पर्याप्त है। 'पूर्व-भर्ती मामलों' और 'भर्ती मामलों' के बीच अंतर करने की आवशयकता नहीं है। हमारी राय यह है कि राबन के मामले में खंड पीठ द्वारा व्यक्त किया गया विचार कि केवल सेवा में उम्मीदवार भर्ती से संबंधित मामले के संबंध में विवाद उठा सकते हैं और कोई व्यक्ति नहीं, स्वीकार्य नहीं है। इसके विपरीत, भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपने दायरे में राज्य से शुरू होने वाले या रिक्तियों को अधिसूचित करने और चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के साथ समाप्त होने वाले सभी आवश्यक कदमों को शामिल करेगी। यह तथ्य कि अधिनियम की धारा 3 (q) में अभिव्यक्ति सेवा की परिभाषा में भर्ती का कोई संदर्भ नहीं है

(11) 1994 (1) SLR 142

अप्रासंगिक है। भर्ती को प्रस्तावना के साथ-साथ अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों में अलग से संदर्भित किया गया है। इसके अलावा, नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की अभिव्यक्ति शर्तें भी पाई जाती हैं। अधिनियम की धारा 3 (q) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होती है। यही कारण है कि वह धारा भर्ती का कोई संदर्भ नहीं देता है।

XX XX XX XX XX XX XX XX XX

अधिनियम की धारा 19, जो न्यायाधिकरणों को आवेदन करने से संबंधित है, केवल प्रक्रियात्मक है और हमारी राय में, उक्त प्रावधान किसी भी मामले को शामिल करने के लिए पर्याप्त है जो न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम अधिनियम के धारा 14 और 15 के मूल प्रावधानों के संबंध में लोक सेवा और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में सभी विवादों और शिकायतों से निपटने के लिए न्यायाधिकरण के दायरे और अधिकार क्षेत्र को पहले ही समझा चुके हैं। फॉर्म I, जिसे अधिनियम की धारा 19 के तहत तैयार किया गया था, हमारे विचार में अधिनियम की धारा 14 और 15 के तहत न्यायाधिकरण की अधिकारिता के दायरे को समझने के लिए सेवा में नहीं लगाया जा सकता है।

(26) हम तीनों उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं और मानते हैं कि न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र धारा 3 (q) में परिभाषित सेवा मामलों के संबंध में एक आवेदन पर विचार करने तक सीमित नहीं है और उपयुक्त मामलों में, न्यायाधिकरण एक ऐसे आवेदन पर विचार कर सकता है जो सख्ती से उस अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आता है, लेकिन अधिनियम की धारा 14 और 15 में उपयोग की जाने वाली अन्य अभिव्यक्तियों से संबंधित हो सकता है।

(27) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि न्यायाधिकरण ने श्री पी. लाल द्वारा दायर आवेदन पत्र पर विचार करके कोई अधिकार क्षेत्र की त्रुटि नहीं की है।

(28) हमारा यह भी विचार है कि श्री लाल द्वारा दायर आवेदन पत्र 1985 के अधिनियम की धारा 3 (q) के साथ पठित धारा 19 के दायरे में आता है और न्यायाधिकरण ने इस पर विचार करके कोई अवैधता नहीं की है। रिट याचिकाओं के अभिलेख पर लाए गए तथ्यों से पता चलता है कि श्री आर. के. शर्मा की अनुपस्थिति में श्री पी. लाल और अन्य को पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था। अगर श्री आर. के. शर्मा को पूर्वव्यापी प्रभाव से पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया जाता तो शायद उन्हें प्रत्यावर्तित न किया जाता। हालाँकि, 14 अगस्त, 1997 के पत्र में निहित निर्णय के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण उनकी वरिष्ठता निश्चित रूप से प्रभावित होती। इसलिए, हमें न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने के लिए पी लाल के सुने जाने के अधिकार पर याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई आपत्ति को स्वीकार करने के लिए कोई वैध आधार नहीं मिलता है।

(29) इस मामले में पक्षकारों के वकील द्वारा दिए गए निर्णयों से निपटना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि उनमें से किसी में भी 1985 के अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या नहीं की गई है।

(30) अगला प्रश्न जो किहर केने योग्य है वह यह है की क्या भारत सरकार के पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति द्वारा प्रस्तुत 18 अप्रैल, 1995 के आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था। याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क है कि भारत सरकार द्वारा पारित 2 मार्च, 1995 का आदेश अमान्य था और इसलिए, इसने 18 अप्रैल, 1995 के आवेदन पर विचार करके कोई अवैधता नहीं की। श्री राकेश टिकू ने 1958 के नियमों के नियम 16 (2) और (2A) का उल्लेख करते हुए कहा कि संबंधित राज्य सरकार को लिखित रूप में तीन महीने की पूर्व सूचना देना सेवानिवृत्ति के अनुरोध पर विचार करने की पूर्ववर्ति शर्त है और उन्होंने तर्क

दिया कि श्री आर. के. शर्मा द्वारा 5 मई,1993 को इस तरह के नोटिस के बिना प्रस्तुत किए गए आवेदन पर अखिल भारतीय सेवा (सेवा-अवशिष्ट मामलों की शर्तें) नियम, 1960 (संक्षेप में, 1960 नियम) के नियम 3 के तहत शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार द्वारा विचार नहीं किया जा सकता था और ठीक यही कारण था जिसके लिए उनका आवेदन-27 सितंबर, 1993 और 13 सितंबर, 1994 के संचार के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, बिना किसी नए आवेदन के, भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए संचार पर गलती से विचार किया और श्री आर. के. शर्मा द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किए गए तथाकथित अनुरोध को अवैध रूप से स्वीकार कर लिया और जब यह पता चला तो 2 मार्च, 1995 के पत्र में निहित निर्णय पर पुनर्विचार किया गया और उनके द्वारा किए गए अनुरोध को -18 अप्रैल, 1995 के आवेदन के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि 14 अगस्त, 1997 के पत्र में निहित निर्णय को रद्द करने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए कारण पूरी तरह से गलत हैं और इसलिए, विवादित आदेश को इस प्रकार कानून की त्रुटि से दूषित घोषित किया जाना चाहिए

और रद्द कर दिया जाना चाहिए। श्री राजीव आत्मा राम ने याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलों का विरोध किया और तर्क दिया कि भारत सरकार श्री आर. के. शर्मा द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनके अनुरोध को वापस लेने के लिए 18 अप्रैल, 1995 को प्रस्तुत आवेदन पर विचार नहीं कर सकती थी क्योंकि इसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया था और उस निर्णय से पंजाब सरकार को 2 मार्च, 1995 के पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया था और श्री आर. के. शर्मा को भी 25 अप्रैल, 1995 को पुलिस महानिदेशक, पंजाब द्वारा भेजे गए पत्र के माध्यम से अवगत कर दिया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 18 अप्रैल, 1995 के आवेदन को 18 जून, 1996 के पत्र के माध्यम से खारिज करने के बाद, भारत सरकार अपने निर्णय की समीक्षा नहीं कर सकती थी और श्री आर. के. शर्मा को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनके अनुरोध को वापस लेने की अनुमति नहीं दे सकती थी। विद्वान वकील ने रिट याचिका के अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का एक स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा श्री आर. के. शर्मा के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को स्वीकार करने का आदेश उन्हें 5 मई, 1993 के आवेदन में दिए गए पते पर भेजा गया था, लेकिन उन्होंने 18 अप्रैल, 1995 के आवेदन को जमा करने के लिए आधार बनाने की दृष्टि से जानबूझकर इसकी स्वीकृति से परहेज किया था। उन्होंने 1960 के नियमों के नियम 2 और 3 का सहारा लिया और तर्क दिया कि तीन महीने पूर्व नोटिस की आवश्यकता को समाप्त करने के भारत सरकार के निर्णय में कोई कानूनी दुर्बलता नहीं थी और इसलिए, 2 मार्च, 1995 के पत्र के माध्यम से दिए गए निर्णय की समीक्षा करने का कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने परिपत्र न. 4427-2 pp-78/17892 दिनांक 7 जून, 1998, में निहित निर्देशों पर भी आश्रय किया और प्रस्तुत किया कि 1960 के नियमों के नियम 2 (बी) के आधार पर, उन निर्देशों को श्री आर. के. शर्मा के मामले में लागू होना माना जाएगा, जो तीन महीने पूर्व नोटिस की आवश्यकता के साथ वितरण को उचित ठहराते हैं। श्री राजीव आत्मा राम के तर्क का एक अन्य पहलू यह है कि किसी विदेशी कंपनी में नौकरी स्वीकार करने से यह माना जाएगा कि श्री आर. के. शर्मा ने आई. पी. एस. के सदस्य के रूप में अपनी सेवा छोड़ दी है और इसलिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उनके अनुरोध को स्वीकार करना काफी उचित था।

(31) हमने विद्वान वकीलों की दलीलों पर गंभीरता से विचार किया है। विवादित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि न्यायाधिकरण ने श्री पी. लाल द्वारा दायर आवेदन को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि एक विदेशी कंपनी के तहत रोजगार की स्वीकृति स्पष्ट रूप से श्री आर. के. शर्मा के सरकार के साथ अपने संबंधों को खराब करने के इरादे का संकेत थी। उन्होंने आगे कहा कि श्री आर. के. शर्मा ने

पहले जांच कार्यवाही को समाप्त करने की मांग करके, फिर यह बताते हुए कि वह सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग कर रहा था, फिर एक विदेशी कंपनी में रोजगार लिया और अंत में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस ले लिया अत्यधिक अपमानजनक आचरण का प्रदर्शन किया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि न्यायाधिकरण ने 2 मार्च, 1995 और 14 अगस्त, 1997 के पत्रों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पंजाब *सरकार को* दिए गए निर्णयों की वैधता से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार नहीं किया। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि 3 फरवरी, 1998 का आदेश कानून की त्रुटि से दूषित है जिसके कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप जरूरी है।

(32) उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान मे न रखते हुए हम इस प्रश्न पर विहार करना उचित समझते हैं कि क्या भारत सरकार श्री आर. के. शर्मा द्वारा 18 अप्रैल, 1995 को प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार कर सकती थी। इस प्रश्न का निर्णय सीधे तौर पर 5 मई, 1993 के आवेदन पत्र को स्वीकार करने के अपने निर्णय की वैधता से संबंधित मुद्दे के निर्धारण पर निर्भर है। इस संबंध में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सितंबर, 1993 की शुरुआत में ही, भारत सरकार ने 5 मई, 1993 के आवेदन पत्र को इस टिप्पणी के साथ स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था कि तीन महीने की नोटिस अवधि को केवल इसलिए माफ करना संभव नहीं था क्योंकि उन्होंने इसके बदले में तीन महीने का वेतन जमा किया था। 27 सितंबर, 1993 के बेतार संदेश के माध्यम से पंजाब सरकार को यह सूचित किया गया था *और* 13 सितंबर, 1994 को फैक्स के माध्यम से दोहराया गया था। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ये संदेश श्री आर. के. शर्मा को दिए गए थे, लेकिन इतना निश्चित है कि उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए नया आवेदन जमा नहीं किया था। हालाँकि, भारत सरकार द्वारा उनका नया अनुरोध भेजने के लिए कहे जाने पर, गृह विभाग में पंजाब सरकार ने 29 नवंबर, 1994 को ज्ञापन भेजा, जिसमें तीन महीने के नोटिस की आवश्यकता और 5 मई, 1993 को उनके मूल आवेदन को स्वीकार करने के लिए कहा गया था और उस संचार पर कार्रवाई करते हुए, भारत सरकार ने आदेश पारित किया, जिसे 2 मार्च, *1995* के पत्र के माध्यम से पंजाब सरकार को सूचित किया गया था। हमारी राय में, भारत सरकार *द्वारा 27* सितंबर, 1993 के बेतार संदेश के माध्यम से दिए गए निर्णय का श्री आर. के. शर्मा द्वारा सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन का निपटारा करने का प्रभाव था और उनके द्वारा नए अनुरोध के अभाव में, भारत सरकार के पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और उत्तीर्णता के लिए उनके मूल (गैर-मौजूद) आवेदन को स्वीकार करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करने और दिनांक 2 मार्च, 1995 का आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं था। वास्तव में, यह श्री पी लाल का मामला नहीं है कि श्री आर. के. शर्मा 27 सितंबर, 1993 के बाद सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत किया था। इसलिए, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि भारत सरकार ने पंजाब सरकार द्वारा 5 मई, 1993 के आवेदन को स्वीकार करने के लिए किए गए अनुरोध पर विचार करके तीन महीने के नोटिस की आवश्यकता को समाप्त करके गंभीर अवैधता की थी। इसके तार्किक परिणाम के रूप में, यह अभिनिर्णीत किया जाना चाहिए कि 2 मार्च, 1995 के पत्र के माध्यम से पंजाब सरकार को दिया गया भारत सरकार का निर्णय गैर-कानूनी था और इसलिए, श्री आर. के. शर्मा को सेवा में बने रहने का अधिकार था और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उनके अनुरोध को वापस लेने के लिए 18 अप्रैल, 1995 का आवेदन जमा करने की भी आवश्यकता नहीं थी। किसी भी मामले में, भारत सरकार द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने की अनुमति देने के लिए लिए गए निर्णय को अवैध या अधिकार क्षेत्र के अभाव के कारण दूषित नहीं कहा जा सकता है।

(33) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रश्न पर निर्णय लेना आवश्यक नहीं समझते हैं कि क्या भारत सरकार 1958 के नियमों के नियम 16 (2A) द्वारा अनुध्यात तीन महीने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए 1960 के नियमों के नियम 3 को लागू कर सकती थी।

(34) समापन करने से पहले, हम श्री पी. लाल के वकील श्री राजीव आत्मा राम की इस दलील का संज्ञान लेना

आवश्यक समझते हैं कि भले ही न्यायालय को न्यायाधिकरण के आदेश में कुछ कानूनी कमजोरी लगे, लेकिन याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि श्री आर. के. शर्मा ने आई. पी. एस. के सदस्य के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया था और हरियाणा सरकार से अनुबंध प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक विदेशी कंपनी के एजेंट के रूप में काम किया था। उन्होंने कैलिफोर्निया डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड (C.W.P. No. 6196 of 1998 में C.M. No. 27489-90 के साथ दायर) के निगमन के प्रमाण पत्र का स्पष्ट संदर्भ दिया ताकि यह दिखाया जा सके कि श्री आर. के. शर्मा उस कंपनी के निदेशकों में से एक थे। उन्होंने अनुलग्नक R3/1, R3/2, R3/26, R3/27 और R3/29 के रूप में चिह्नित दस्तावेजों का भी उल्लेख किया ताकि यह दिखाया जा सके कि श्री आर. के. शर्मा ने मैसर्स कैलिफोर्निया डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंक., यू. एस. ए. के तहत रोजगार लिया था और विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के समक्ष उक्त कंपनी की ओर से अनुबंध प्राप्त करने के लिए उसका प्रतिनिधित्व किया था और तर्क दिया कि उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए एक निजी कंपनी का रोजगार लिया था। विद्वान वकील ने अफसोस जताया कि घोर दुराचार पर गंभीरता से ध्यान देने के बजाय श्री आर. के. शर्मा द्वारा प्रतिबद्ध, पंजाब सरकार के कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी उच्च पदों पर उनकी पदोन्नति को सुविधाजनक बनाने के लिए रिकॉर्ड में हेरफेर करने में व्यस्त हैं। विद्वान वकील ने बताया कि श्री आर. के. शर्मा द्वारा पी. लाल पर वरिष्ठता का दावा नहीं करने के लिए दिए गए वचन और इस न्यायालय द्वारा C.W.P. No. 6196 of 1998 में पारित 15 जुलाई, 1998 के अंतरिम आदेश के बावजूद कि वह प्रतिवादी-पी लाल पर वरिष्ठता का दावा नहीं करेंगे के बावजूद, पूर्वव्यापी पदोन्नति देकर और अनुशासनात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर भारत सरकार द्वारा की गई टिप्पणियों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए, उन्हें बाद वाले से वरिष्ठ बनाने के प्रयास किए गए हैं, बिना किसी जांच के उन्हें जमानत देने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री आर. के. शर्मा के वकील डॉ. बलराम के. गुप्ता ने इस मुद्दे पर एक चेतावनी दी और कहा कि 1995 में उनके मुवक्किल ने अपने मित्र श्री मलकीत सिंह सिद्धू के कहने पर कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य बनने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन बाद में उन्होंने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आगे कहा कि उनके मुवक्किल ने मैसर्स कैलिफोर्निया डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंक., यू. एस. ए. की ओर से मानद क्षमता में काम किया था और इसे अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के अर्थ के भीतर कदाचार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(35) प्रतिद्वंद्वी तर्कों से सही परिप्रेक्ष्य में निपटने के लिए, पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ दस्तावेजों का उल्लेख करना उपयोगी होगा। C.W.P. No. 6461 of 1998 के अभिलेख में रखे गए इन दस्तावेजों का विवरण नीचे दिया गया हैः—

(1) अनुलग्नक R3/28 कैलिफोर्निया डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड के निगमन के लिए 26 अक्टूबर, 1995 को कंपनियों के अतिरिक्त पंजीयक, दिल्ली एन. सी. टी और हरियाणा, द्वारा जारी निगमन प्रमाण पत्र की फोटोस्टेट प्रति है। इसके साथ फॉर्म न. 32 की एक फोटोस्टेट प्रति सहित अन्य दस्तावेज भी हैं जिसमें श्री आर. के. शर्मा को कंपनी के निदेशकों में से एक के रूप में दिखाया गया है। 4 अन्य निदेशकों में से दो अमेरिका के नागरिक हैं और शेष दो भारतीय नागरिक हैं। श्री आर. के. शर्मा की कंपनी का निदेशक बनने की सहमति वाले प्रपत्र न. 29 की फोटोस्टेट प्रति भी निगमन प्रमाण पत्र के साथ दाखिल की गई है।

(2) अनुलग्नक R3/26 श्री आर. के. शर्मा द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में हस्ताक्षरित बोली के लिए निमंत्रण और समझौते के लिए मानक प्रपत्र की फोटोस्टैट प्रति है।

(3) श्री आर. के. शामरा द्वारा कैलिफोर्निया डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंक. के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री तरुण शर्मा के पक्ष में 4 अक्टूबर, 1996 को निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक फोटोस्टैट प्रति भी दायर की गई है।

(4) अनुलग्नक R3/1 (C.W.P. No. 6461 of 1998 में) 1 अगस्त, 1997 को श्री आर. के. शर्मा

द्वारा कैलिफोर्निया डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंक के प्रबंध निदेशक के रूप में श्री तरुण शर्मा को नकली वाउचर जमा करने के मामले में भेजे गए पत्र की एक टाइप की गई प्रति है।

(5) अनुलग्नक R3/2 (पृष्ठ 1 से 11) श्री आर. के. शर्मा द्वारा हरियाणा पी. डब्ल्यू. डी. सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा, चंडीगढ़ के मुख्य अभियंता और विभाग के अन्य अधिकारियों को विभिन्न स्थानों पर सीवेज उपचार संयंत्रों को चालू करने के संबंध में भेजे गए पत्रों की प्रतियां हैं।

(6) अनुलग्नक P35, 7 अगस्त, 2000 को कैलिफोर्निया डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड के निदेशकों की सूची है। इस दस्तावेज़ को श्री आर. के. शर्मा ने C.M. No. 28355-56- of 2000 के साथ रिकॉर्ड में रखा है। इसमें उनका नाम नहीं है।

(7) C.M. No. 28355-56 of 2000 के साथ दाखिल किए गए P36 से P40 तक के अनुलग्नक वर्ष 1995-96 से 1999-2000 के लिए निदेशक की रिपोर्ट की प्रतियां हैं।

(8) C.W.P. No. 6196 of 1998 में दायर अनुलग्नक P20 श्री मलकीत सिंह सिद्धू द्वारा कथित रूप से इस आशय से दिए गए हलफनामे की एक प्रति है कि श्री आर. के. शर्मा न तो कार्यरत थे और न ही कैलिफोर्निया डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंक. के निदेशक थे, बल्कि वे उनसे मार्गदर्शन और परामर्श लेते थे।

(36) विद्वान उप महाधिवक्ता ने जो रिकॉर्ड पेश किया है, उससे पता चलता है कि 17 अगस्त, 1998 के एक आदेश से पंजाब के राज्यपाल ने श्री आर. के. शर्मा को डी. आई. जी. (प्रशासन), आई. आर. बी., पटियाला, के रूप में पंजाब पुलिस में शामिल होने की अनुमति इस शर्त के साथ दी थ कि उनके खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में मामला जब उन्होंने समय से पहले सेवानिवृत्ति और वरिष्ठता आदि की मांग की थी, C.W.P. Nos. 6461 और 6196 of 1998 के अंतिम परिणाम के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। हालाँकि, भारत सरकार के 14 अगस्त, 1997 के पत्र में निहित विशिष्ट अवलोकन कि राज्य सरकार श्री आर. के. शर्मा की अनुपस्थिति आदि के संबंध में उचित कार्रवाई करेगी और पंजाब के राज्यपाल द्वारा पारित आदेश में निहित शर्त कि अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित मामले का फैसला रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के बाद किया जाएगा की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए, पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों ने अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए श्री आर. के. शर्मा की मदद करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ रिकॉर्ड में हेरफेर करने का प्रयास किया। यह निम्नलिखित तथ्यों से पता चलता है:—

(i) जब पुलिस महानिदेशक ने श्री आर. के. शर्मा द्वारा 27 मई, 1992 से पूर्वव्यापी पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए किए गए अभ्यावेदन को इस सुझाव के साथ भेजा कि पिछली जांच से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जा सकता है, तो तत्कालीन प्रधान सचिव, गृह, पंजाब ने 24 मार्च, 1999 को नोट दर्ज किया कि पुलिस महानिदेशक द्वारा दिया गया सुझाव अनावश्यक था क्योंकि अनुपस्थिति की अवधि पहले ही नियमित हो चुकी थी।

(ii) जब पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए आई. पी. एस. अधिकारियों को पैनल में शामिल करने के लिए बैठक करने वाली जांच समिति द्वारा विचार के लिए गृह विभाग के अधिकारियों द्वारा एजेंडा तैयार किया गया था, तो श्री आर. के. शर्मा के पक्ष में एक पूरी तरह से भ्रामक बयान दिया गया था—

"राज्य सरकार ने श्री आर. के. शर्मा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस पर विचार करते हुए हटाए गए अनुशासनात्मक कार्यवाही/आरोप पत्र को फिर से नहीं खोलने का फैसला किया है। इस अधिकारी के खिलाफ कोई अन्य

सतर्कता/विभागीय जांच लंबित नहीं है।"

(37) इस नोट पर भरोसा करके, जांच समिति ने श्री आर. के. शर्मा को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए सिफारिश की और उस आधार पर, उन्हें 11 जनवरी, 1992 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ पदोन्नत किया गया।

(38) हमारी राय में, गृह विभाग द्वारा बनाया गया एजेंडा निहित नोट स्पष्ट रूप से गलत था और राज्यपाल के आदेश का अतिसंधान करने का एक सफल प्रयास था क्योंकि वास्तव में, सरकार द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही/आरोप पत्र को फिर से खोलने के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था जिसे 1994 में श्री आर. के. शर्मा के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार करते हुए हटा दिया गया था। सुनवाई में, हमने विद्वान उप महाधिवक्ता से दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहा था ताकि यह दिखाया जा सके कि सरकार ने श्री आर. के. शर्मा के खिलाफ कर्तव्य की अनुपस्थिति और पूर्व अनुमति के बिना विदेश जाने के गंभीर आरोपों के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही फिर से शुरू नहीं करने का एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया था। जवाब में, विद्वान सरकारी वकील ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्हें ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। हमारी सुविचारित राय में, 24 मार्च, 1999 को तत्कालीन प्रधान सचिव, गृह विभाग, पंजाब द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही को फिर से शुरू करने के मुद्दे पर पुलिस महानिदेशक द्वारा दिए गए सुझाव और गृह विभाग द्वारा तैयार किए गए भ्रामक एजेंडा नोट को श्री आर. के. शर्मा को क्लीन चिट देने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। हमारा यह भी विचार है कि सामान्य परिस्थितियों में, राज्य सरकार जनवरी, 1993 में शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को फिर से शुरू करने के लिए बाध्य है क्योंकि इन्हें केवल श्री आर. के. शर्मा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से समाप्त किया गया था, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संभव नहीं हो सकता था। इसलिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस ले लिया है, सरकार का सक्षम प्राधिकारी इस मामले में एक व्यापक निर्णय लेने के लिए बाध्य है और श्री आर. के. शर्मा को गृह विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव द्वारा दर्ज किए गए पूरी तरह से अनुचित नोट या जांच समिति के समक्ष रखे गए एजेंडा आइटम का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

(39) इस स्तर पर, हम यह अवधारणा करना उचित समझते हैं कि हाल के दिनों में, देश ने एक नई और खतरनाक घटना देखी है, अर्थात् सेना और नागरिक अधिकारियों द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति के बाद निजी कंपनियों-भारतीय के साथ-साथ विदेशी कंपनियों मे रोजगार लेना। ये सेवानिवृत्त अधिकारी सरकारी प्रतिष्ठानों में अपने पुराने संपर्कों का उपयोग ऐसी कंपनियों की ओर से सौदे करने के लिए करते हैं। कभी-कभी, वे कंपनी के संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं और ऐसी कंपनियों के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पूर्व पद का उपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया में सार्वजनिक हित से समझौता करते हैं। इसलिए, यह उचित समय है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को आचरण नियमों में उपयुक्त संशोधन करना चाहिए ताकि उच्च पद पर आसीन सरकारी अधिकारियों को निजी कंपनियों-भारतीय के साथ-साथ विदेशी कंपनियों में रोजगार लेने से रोका जा सके।

(40) इस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि भारत सरकार के अनुसंधान और विश्लेषण विंग में एक महत्वपूर्ण पद से पुनर्नियुक्त होने के बाद, श्री आर. के. शर्मा 30 सितंबर, 1991 तक ड्यूटी में शामिल नहीं हुए और लगभग एक महीने तक अपने मूल कैडर में रहने के बाद, उन्होंने सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना देश छोड़ दिया और 12 अप्रैल, 1993 तक ड्यूटी में शामिल नहीं हुए। 5 मई, 1993 को उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया और फिर अगले पांच वर्षों के लिए दृश्य से लगभग गायब हो गए। इस अवधि के दौरान, उन्होंने कैलिफोर्निया डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड के निगमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक विदेशी कंपनी, मैसर्स कैलिफोर्निया डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंक, यू. एस. ए. के निदेशक/प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया और इसकी ओर से अनुबंध हासिल किए। इस स्तर पर, हमारे लिए इस मुद्दे पर कोई निर्णायक राय व्यक्त करना उचित नहीं होगा कि क्या कैलिफोर्निया डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल का सदस्य बनकर और उस कंपनी के पक्ष में अनुबंध हासिल करने के लिए एक विदेशी कंपनी के प्रबंध निदेशक/निदेशक के रूप में कार्य करते हुए, श्री आर. के. शर्मा ने आई. पी. एस. के एक अधिकारी के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया था, जो पहले भारत सरकार के अनुसंधान और विश्लेषण विंग में काम कर चुके थे, लेकिन हमें यह अवधारणा करने में जरा भी संकोच नहीं है कि सेवा से अनुपस्थिति के दौरान उनकी गतिविधियों की राज्य सरकार द्वारा गहन जांच की आवश्यकता है और इसे किसी भी आधार पर टाला नहीं जा सकता है। डॉ. बलराम के. गुप्ता द्वारा दिया गया सुझाव कि श्री आर. के. शर्मा ने अपने मित्र श्री मलकीत सिंह सिद्धू को तकनीकी सलाह देने के लिए कैलिफोर्निया डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड के साथ मानद कार्य लिया था, स्वीकार करने के लिए बहुत भोला है। विद्वान वकील से सहमत होना असंभव है कि उनके मुवक्किल को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सरकारी सेवा में रहते हुए, वह किसी निजी कंपनी का निदेशक नहीं बन सकता है या किसी विदेशी कंपनी के तहत कार्य नहीं ले सकता है और ऐसा करने से वह आचरण नियमों का उल्लंघन करेगा। हालाँकि, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार द्वारा उचित स्तर पर विस्तृत विचार करने की आवश्यकता है।

(41) इस तथ्य के बावजूद कि हमने श्री आर. के. शर्मा के खिलाफ पहले से लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त करने से परहेज किया है या जो इसके बाद लगाए जा सकते हैं, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि जिस तरह से पंजाब सरकार के गृह विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें क्लीन चिट देने का प्रयास किया गया है, उसे पूरी तरह से अनुचित, अनपेक्षित और सेवा की नैतिकता के लिए हानिकारक कहा जा सकता है।

पंजाब के तत्कालीन गृह सचिव द्वारा जांच छोड़ने और अनुपस्थिति की अवधि को नियमित करने के बारे में की गई टिप्पणी पूरी तरह से अनावश्यक है। हम इस बात की सराहना नहीं कर पाए हैं कि संबंधित अधिकारी ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए ये टिप्पणियां क्यों कीं कि 1993 में शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को केवल इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि श्री आर. के. शर्मा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध किया था और 17 अगस्त, 1998 के आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि श्री आर. के. शर्मा के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले का फैसला दो रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के बाद किया जाएगा।इ समें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अगर श्री शर्मा ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग नहीं की होती, तो जांच को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाता। कर्तव्य से अनुपस्थित रहने या पूर्व अनुमति के बिना विदेश जाने के आरोप में उन्हें अंततः दंडित किया जाता या नहीं, एक निजी कंपनी का निदेशक बनना और एक विदेशी कंपनी के तहत रोजगार लेना कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर हमें राय व्यक्त करने के लिए कहा जाता है, लेकिन 14 अगस्त, 1997 के आदेश में भारत सरकार द्वारा किए गए स्पष्ट अवलोकन और 17 अगस्त, 1998 के आदेश में निहित शर्तों को देखते हुए, पंजाब सरकार श्री आर. के. शर्मा के आचरण पर व्यापक विचार करने और उचित निर्णय लेने के लिए बाध्य है।

(42) परिणामस्वरूप, याचिकाओं को अनुमति दी जाती है। न्यायाधिकरण द्वारा पारित 3 फरवरी, 1998 के आदेश को खारिज कर दिया जाता है। यह इस निर्देश के अधीन होगा कि श्री आर. के. शर्मा को श्री पी. लाल और अन्य अधिकारियों पर वरिष्ठता नहीं दी जाएगी, जिन्हें उनकी अनुपस्थिति के दौरान ड्यूटी से पदोन्नत किया गया था, जब तक कि सरकार उनकी अनुपस्थिति, पूर्व अनुमति के बिना विदेश जाने, एक विदेशी कंपनी में रोजगार लेने और भारत में पंजीकृत कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल होने के आरोपों पर व्यापक निर्णय नहीं लेती है और उन्हें इन मामलों में आयोजित विभागीय जांच, यदि कोई हो, में दोषमुक्त कर दिया जाता है। राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह इस तथ्य से प्रभावित हुए बिना छह महीने की अवधि के भीतर इस मामले में उचित निर्णय लें कि 1993 में शुरू की गई जांच को 9 नवंबर, 1994 के पत्र के माध्यम से हटा दिया गया था और तत्कालीन गृह सचिव, पंजाब द्वारा 24 मार्च, 1999 के अपने नोट और पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए आई. पी. एस. अधिकारियों को सूचीबद्ध करने के लिए 1999 में तैयार किया गया एजेंडा में पूरी तरह से अनुचित टिप्पणियों को दर्ज किया गया था ।

आर.एन.आर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर , हरियाणा